न्यायालय : राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. /2014–पुर्नावलोकन

दीपू सिंह तनय श्री मंगल सिंह, निवासी–सिंचाई कॉलोनी, चन्दला रोड़, लवकुश नगर, तहसील – लवकुश नगर, जिला–छतरपुर (म0 प्र0)

– आवेदक

विरूद्व

कढ़ोरी तनय पुन्ना काछी, निवासी–सिंचाई कॉलोनी, चन्दला रोड़, लवकुश नगर, तहसील – लवकुश नगर, जिला–छतरपुर (म0 प्र0)

– अनावेदक

पुर्नावलोकन अंतर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 के विरूद्व आदेश दिनांक 27–05–2014 द्वारा पारित माननीय सदस्य श्री अशोक शिवहरे राजस्व मंडल म0 प्र0, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 1547–III/2014–निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदक का पुर्नावलोकन निम्नलिखित है:–

1. यहकि, प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कढ़ोरी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला–छतरपुर के समक्ष एक अपील क्रमांक 224/2012–13 प्रस्तुत की गई जिसमें विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 अवधि विधान का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत किया गया।

2. यहकि, अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 13.05.2014 को विलम्ब क्षमा मात्र इस आधार पर कर दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ--------

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1831–तीन/2014 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनॉक	कार्यवाही तथा आदेश
19.12.16	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का. सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दार प्रकरण कमांक 1547–तीन/2014 में पारित आदेश दिनॉक 27–5–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में वर्णित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव के तर्क सुने । अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने तथा तत्का. सदस्य म0प्र0राजस्व मण्डल, ग्वालियर व्दार प्रकरण कमांक 1547–तीन/2014 में पारित आदेश दिनॉक 27–5–14 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि आवेदक ने जिन आधारों पर आदेश दिनॉक 27–5–14 का पुनरावलोकन कराना चाहा है, आवेदक व्दारा बताये गए आधार संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में किसी भी आदेश का पुनरावलोकन निम्न आधारों पर किया जा सकता है :– 1. प्रत्यक्ष दर्शी भूल अथवा नियमों की त्रृटि, 2. किसी ऐसे अभिलेख की प्राप्ति तथा प्रस्तुतीकरण, जो उस समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका, जब कि आदेश पारित किया गया एंव वाद में शोध पर प्राप्त हुआ,

3. अन्य पर्याप्त हेतुक ।

आवेदक के अभिभाषक उक्त आधारों के क्रम में समाधान नहीं करा सके हैं कि आदेश दिनांक 27-5-14 का पुनरावलोकन किन आधारों पर किया जाय है। इसके विपरीत प्रकरण कमांक 1547-तीन/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 27-5-14 में स्पष्ट तथ्य आये हैं कि अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर व्दारा पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 13-5-14 उचित पाया गया है, फलस्वरूप आदेश दिनांक 27-5-14 पुनरावलोकन योग्य न पाये जाने से फेर-बदल की गुॅजायश नहीं है। अतएव पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है।

सदस्य